भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3497

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

राज्यों को कार्य-निष्पादन से सम्बद्ध अतिरिक्त उधारी सुविधा

3497. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी सीमा के लिए विद्युत क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार का प्रस्ताव किया था, यदि हां, तो प्रदान की गई ऐसी सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विद्युत मंत्रालय ने इस सुविधा को वर्ष 2029-30 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार का केरल सरकार द्वारा शुरू की जा रही विद्युत क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं जैसे स्मार्ट मीटरों की संस्थापना और वितरण लाइनों के उन्नयन पर विचार करते हुए केरल राज्य के लिए 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी सीमा को वर्ष 2029-30 तक बढ़ाने का विचार है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हां, 15वें वित्त आयोग ने अपने अधिनिर्णय अवधि के प्रथम चार वर्षों, अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक, में प्रत्येक वर्ष के लिए राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त वार्षिक उधारी सीमा प्रदान करने की अनुशंसा की थी, जो विद्युत क्षेत्र में निर्दिष्ट में कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की प्रस्तुती लंबित रहने तक, यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जारी रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विद्युत क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के लिए स्वीकृत अतिरिक्त उधारी का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां, विद्युत क्षेत्र में सुधार से जुड़ी अतिरिक्त उधारी सुविधा के विस्तार के लिए विद्युत मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसका विधिवत उत्तर दिनांक 12.05.2026 के अ.शा. पत्र के माध्यम से दिया गया था। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे विधिवत स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने विद्युत क्षेत्र सुधारों से जुड़े अतिरिक्त उधार सुविधा को जारी रखने की अनुशंसा नहीं की है। अतः, वर्तमान में, केरल सहित राज्य सरकारों के विद्युत क्षेत्र सुधारों के लिए अतिरिक्त उधारी सुविधा के विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 3497 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सभी राज्यों को विद्युत क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के लिए स्वीकृत अतिरिक्त उधारी का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	3,716	5,858	6,709	7,986	6,886	**31,155**
2	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	**-**
3	असम	1,886	2,473	2,702	1,573	-	**8,634**
4	बिहार	-	-	-	-	-	**-**
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	**-**
6	गोवा	-	-	-	-	-	**-**
7	गुजरात	-	-	-	-	-	**-**
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	**-**
9	हिमाचल प्रदेश	251	-	-	-	564	**815**
10	झारखंड	-	-	-	-	-	**-**
11	कर्नाटक	-	-	-	-	-	**-**
12	केरल	4,060	4,263	4,866	6,149	5,848	**25,186**
13	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	**-**
14	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	**-**
15	मणिपुर	180	213	-	-	-	**393**
16	मेघालय	192	-	-	-	-	**192**
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	**-**
18	नागालैंड	-	-	-	-	-	**-**
19	ओडिशा	2,725	-	-	-	-	**2,725**
20	पंजाब	-	-	-	3,952	1,578	**5,530**
21	राजस्थान	5,186	6,122	7,996	7,088	5,002	**31,394**
22	सिक्किम	191	170	156	262	102	**881**
23	तमिलनाडु	7,054	5,775	9,656	9,589	6,790	**38,864**
24	तेलंगाना	-	-	-	-	-	**-**
25	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	**-**
26	उत्तर प्रदेश	6,823	-	-	-	-	**6,823**
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	**-**
28	पश्चिम बंगाल	6,911	8,352	7,276	-	-	**22,539**
	कुल	**39,175**	**33,226**	**39,361**	**36,599**	**26,770**	**1,75,131**